

स्वघोषणा-प्रपत्र

क.	विद्यालय-विवरण	
1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	पत्राचार का पता	
5.	गाँव / नगर	
6.	प्रखंड	
7.	पिन कोड	
8.	दूरभाष सं० एस०टी०डी० कोड के साथ	
9.	फैक्स नं०	
10.	ई-मेल पता (यदि कोई हो)	
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	

ख.	सामान्य सूचनाएँ		
1.	स्थापना का वर्ष		
2.	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि		
3.	ट्रस्ट / सोसाईटी / प्रबंधन समिति का नाम		
4.	क्या ट्रस्ट / सोसाईटी / प्रबंधन समिति निबंधित है?		
5.	ट्रस्ट / सोसाईटी / प्रबंधन समिति के निबंधन की वैधता अवधि		
6.	क्या ट्रस्ट / सोसाईटी / प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ-पत्र के रूप में संलग्न है?		
7.	विद्यालय के चेयरमैन / प्रेसीडेंट / मैनेजर के कार्यालय का पता		
	नाम		
	पदनाम		
	पता		
	दूरभाष	कार्यालय: आवास:	
8.	अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत / घाटा)		
	वर्ष	आय	व्यय

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

ग.	विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र	
1.	शिक्षण का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं निकास की कक्षाएँ अंकित करें)	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत्त करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है?	
5.	यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा निबंधित संख्या	
6.	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?	
7.	क्या विद्यालय का भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए व्यवहृत की जाती है?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या-क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ हैं?	

घ. नामांकन स्थिति		
वर्ग	सेक्सन की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
1. पूर्व प्राथमिक		
2. 1-5		
3. 6-8		

च. आधारभूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति		
कक्ष	संख्या	औसत आकार
1. वर्गकक्ष		
2. कार्यालय कक्ष-सह-भंडार कक्ष-सह- प्रधानाध्यापक कक्ष		
3. रसोईघर-सह-भंडार		

छ. अन्य सुविधाएँ	
1. क्या सभी सुविधायें अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत हैं	
2. शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3. खेल-कूद सामग्री (सूची संलग्न करें)	
4. पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा ● पुस्तकों की संख्या ● पत्रिकाएँ/सामाचार पत्र	
5. पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या	

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

6. स्वच्छता की स्थिति	
1. डब्लू0सी0 और मूत्रालय का प्रकार	
2. बालकों के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	
3. बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	
4.	

ज. शिक्षकों का ब्योरा		
1. केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ब्योरा (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग-अलग)		
शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
शैक्षिक योग्यता (4)	व्यवसायिक योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
किस वर्ग के शिक्षक है (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

2. प्रधान शिक्षक

शिक्षक का नाम (1)	पिता/पति/पत्नी का नाम (2)	जन्म तिथि (3)
शैक्षिक योग्यता (4)	व्यवसायिक योग्यता (5)	शैक्षणिक अनुभव (6)
किस वर्ग के शिक्षक है (7)	नियुक्ति की तिथि (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

1 एवं 2 के मामले में यथा उपयुक्त प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

झ. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या	
1. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण, जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है (वर्ग 8 तक)	
2. छात्रों के आकलन की पद्धति	
3. क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?	

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

- ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (यू-डायस) में भी समर्पित किया गया है।
- ठ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।
- ड. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा समय-समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।
- ढ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागू हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

ह0 / -

स्थान:

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक